न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 71/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पुखाराम पुत्र गुणेशराम जाति गुर्जर निवासी रून्दिया तहसील सोजत		गोलाराम गोद पुत्र चतुराराम जाति नायक निवासी रून्दिया तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/5/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 02/2014 बअन्वान गोलाराम बनाम पुखाराम में तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार सोजत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रून्दिया के खसरा नमबर 543 रकबा 0.8700 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बताते हुए अपीलाण्ट को बेदखल किया जाकर कब्जा रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार सोजत ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जबकि प्रकरण अपीलाण्ट के जवाब में नियत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड एवं तथ्यों की समुचित जांच भी नहीं की तथा न ही मौका निरीक्षण किया। राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण की संख्या बढाने को लेकर प्रकरण का विधि विरूद्ध रूप से निस्तारण कर दिया, जबकि प्रकरण निर्णय की स्टेज पर ही नहीं था। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 543 रकबा 0.8700 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं उसके भाई हरीराम की पैतृक कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व के पुराने खसरा नम्बर 415 व 416 से बनी है, जो खसरा मिलान से स्पष्ट है तथा उक्त कृषि भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2018 के अनुसार अपीलाण्ट के पिता गुणीया वल्द रूपा की खातेदारी की आई हुई थी। इस भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिलावट कर अपीलाण्ट की कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार का अधिकार नही होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट के भाई बालूराम के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व रेकर्ड में बिना अपीलाण्ट की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया, बल्कि रेस्पोडेन्ट एवं उसके पिता को सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपना नाम इन्द्राज करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था एवं न ही सेटलमेन्ट अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त था कि वे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी से वंचित कर सके तथा किसी दूसरे व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान कर सके। वादस्थ भूमि का पर्चा लगान दिनांक 15.02.1974 से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की जानकारी होने पर उसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वाद दायर करवाया गया, जो विचाराधीन है। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज होने का गलत लाभ प्राप्त करते हुए तहसीलदार सोजत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज करवा कर बाले बाले अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित करवा दिया। कानूनन सक्षम न्यायालय में जब घोषणा का वाद विचाराधीन हो, तब तक संक्षिप्त कार्यवाही के जरिये प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रून्दिया के खसरा नमबर 416 रकबा साढे छः बीघा चार बिस्वा की भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता चुतराराम की खातेदारी भूमि थी। खसरा नम्बर 416 से नये खसरा नम्बर 543 बने है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय गलती से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होना जाहिर किया है, जबकि इन तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त की खातेदारी सुदा है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के कारण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपीलाण्ट ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रकरण को लम्बा करने की कोशिश की। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया, जिसके विधिवत नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात भी अपीलाण्ट ने किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी.) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि मौजा रून्दिया के खसरा नम्बर 543 रकबा 0.8700 हैक्टेयर की भूमि अपनी खातेदारी भूमि होना बताते हुए उक्त भूमि से अपीलाण्ट का अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 12.05.2016 को जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को जैर अपील वादस्थ भूमि से बेदखल करने एवं भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण दिनांक 12.08.2014 को दायर होने के पश्चात अगली तारीख पेशी दिनांक 01.09.2014 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2015 तक समय दिया गया। इसके पश्चात बिना जवाब बन्द किए, पत्रावली सीधे बहस में नियत की गई तथा दिनांक 12.05.2016 को जैर अपील आदेश पारित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) में यह प्रावधित किया गया है कि "अनुसूचित जाति अथव जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखी – (1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अथवा कब्जा बनाया रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पत्र (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों, बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए, जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा, जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुना) तक हो सकती है। (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संक्षिप्त रूप में की जायेगी और यावत् साध्य विहित कालावधि के भीतर समाप्त की जायेगी।" हस्तगत प्रकरण में जेर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है तथा कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों की रक्षा करना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) की मंशा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2014 बअनवान गोलाराम बनाम पुखाराम में तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)